



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छोगो) पिन- 492001

फोन नंबर :- 0771 - 4918927

Email - [office.rera.cg@gov.in](mailto:office.rera.cg@gov.in), website- <https://rera.cgstate.gov.in/>

कमांक : 40 / रेरा / 2020 / ५२०

रायपुर, दिनांक 20/04/2020

## //परिपत्र//

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने भारत सरकार द्वारा 23 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा पुनः 14 अप्रैल, 2020 से 03 मई, 2020 तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया है और 20 अप्रैल, 2020 से कोरोना वायरस के संकमण के प्रसार को रोकने संबंधी निर्धारित उपायों का पालन करते हुए केवल सीमित आर्थिक गतिविधियों को पुनः कार्य प्रारंभ करने अनुमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त उल्लेखित लॉकडाउन के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 14.04.2020 को निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु लगातार लॉकडाउन के कारण मजदूरों की अनुपलब्धता तथा सामग्री आपूर्ति व्यवस्था विषम रूप से प्रभावित होने के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित विकास कार्य मार्च 2020 से बाधित रहा है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में स्थित सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कार्य पुनः प्रारंभ करने में अतिरिक्त समय लगने की संभावना है। उपरोक्त उल्लेखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 5,6,7 (3) तथा छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 7 सहपठित धारा 34(F) अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कराना प्राधिकरण का दायित्व है। निष्कर्षतः प्राधिकरण द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिनकी पूर्णता विषम रूप से प्रभावित हुई है के संबंध में निर्णय लेना आवश्यक है। अतः कोविड-19 के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने तथा कोरोना वायरस के रोकथाम में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है :-

(S)  
20/4/2020

1. ऐसे पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिनकी पूर्णता दिनांक 15 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के मध्य है कि, रजिस्ट्रेशन अवधि का 30 जून, 2020 तक विस्तार किया जाता है। सर्व संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पृथक से नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किये जावेंगे।
2. प्रमोटर्स द्वारा पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक की त्रैमासिक अवधि का नियमित त्रैमासिक अद्यतन 30 अप्रैल, 2020 तक किया जाना है। उक्त अवधि में एक माह की वृद्धि करते हुए नियमित त्रैमासिक अद्यतन की तिथि 31 मई, 2020 निर्धारित की जाती है। दिनांक 31 मई, 2020 तक त्रैमासिक अद्यतन करने पर उक्त क्वार्टर हेतु कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा।
3. दिनांक 20.04.2020 से 03.05.2020 तक प्राधिकरण के समक्ष सुनवायी हेतु नियत समर्त प्रकरणों को आगामी आदेश पर्यन्त नवीन सुनवाई दिनांक पर सुनवाई हेतु बढ़ाया जाता है। प्राधिकरण द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से नवीन सुनवायी दिनांक निर्धारित की जावेगी। उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा केवल अत्यावश्यक प्रकरणों में ही सुनवाई की जावेगी।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)  
रजिस्ट्रेशन  
१०

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर